146

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र. ~~~~ म.प्र.

प्र.क्र. अपील – 6510/2018/छतरपुर/भू.रा.

रामराजा पाठक तनय श्री कांतिराज पाठक

निवासी मुखर्री, पोस्ट सिंहपुर तह. महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र.

..अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, छतरपुर ... अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू.रा. संहिता 1959.

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 21-12-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 31-12-18 21-12-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अपील विरुद्ध आदेश, मा. अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्र.क्र.-/1719/अ-65/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत।

महोदय,

अपीलार्थी निम्ननिवेदन करता है-

मुकेश भार्गव 21.12.18 एडवोकेट ग्वालियर

1. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि क्र.नं. 2241/1 रकवा 4.602 हेक्टेयर का पहाड़ ग्राम टउम जिला छतरपुर में स्थित है जिसमें अपीलार्थी को पत्थर, गिट्टी, क्रेशर का संचालन करने के लिए कलेक्टर छतरपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत टउम से प्रस्ताव लेकर खसरा नंबर 2241/1 रकवा 4.602 हेक्टेयर में से 1.450 हेक्टेयर का संलग्न नक्शा मुताबिक 10 वर्षीय उत्खनन पट्टा दिनांक 26.8.2017 से 25.8.2 तक के लिए पट्टा स्वीकृति उपरांत लीज अनुबंध पंजीयन दिनांक 20.9.17 को कराया गया था। सचिव म.प्र. शासन माइनिंग म.प्र. शासन भोपाल के पत्र क्र. 385/एम.पी.एस.ई.आईएए/2015 पत्र दिनांक 22.4.15 के अनुसार लीज पहाड़ क्षेत्र से 500 मीटर के अंदर आबादी भूमि घोषित नहीं की जा सकती है और न ही आवासीय पट्टे दिए जा सकते हैं। उक्त तथ्य की जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच टउम को होते हुए भी उनके द्वारा

पृष्ठ 01 21.12.18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील–6519/2018/छतरपुर/भू.रा.

रामराजा पाठक विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–01–19	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में अपीलार्थी श्री रामराजा पाठक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव व शासकीय अभिभाषक श्री योगेश पाराशर के तर्क सुने गये । 2/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 1719/अ–65/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 25–10–2018 विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में संलग्न आवेदक द्वारा प्रस्तुत आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी रामराजा ने ग्राम टटम स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 2241/1 रकबा 1.450 हैक्टेयर भूमि पर पत्थर की गिट्टी बनाने के लिये क्रेशर संचालित करने का आवेदन कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत टटम द्वारा सहमति स्वरूप प्रस्ताव सहित पहाड़ी भूमि लीज पर दिये जाने का अनुरोश किया गया था । कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही एवं जांच उपरांत अपीलार्थी रामराजा पाठक को 10 वर्ष का पट्टा दिये जाने का प्रतिवेदन तैयार कर भैमिकी एवं खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल को भेजा गया ।	
14-01-19		

भौमिकी एवं खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 26–05–2017 से उत्खनन पट्टा क्रेशर गिट्टी उद्योग संचालित करने हेतु रकबा 1.450 हैक्टेयर पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् कलेक्टर छतरपुर ने उक्त खसरा नंबर 2241/1 (कुल रकबा 4.602 हैक्टेयर) में से रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का आदेश दिनांक 24–11–2017 को पारित किया । कलेक्टर छतरुपर ने वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करने के पूर्व सार्वजनिक इश्तहार जारी कर आपत्तियां मंगवाई थी। जिस पर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही कलेक्टर छतरपुर ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधानों के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित किया था। जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती, इसी कारण अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड।

14.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य